

न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : वंदना सिंघवी, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 336/2017

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोंडेन्ट
1- दौलाराम पुत्र नानकराम 2- पदमाराम पुत्र नानकराम जातियान जाट निवासीगण ग्राम खबाणियां तहसील ओसिया जिला जोधपुर		1- श्रीमती फूली पुत्री मूलाराम पत्नी किशनाराम बेनीवाल निवासी ग्राम सिली तहसील ओसियां जिला जोधपुर 2- ग्राम पंचायत किंजरी तहसील ओसियां जरिये सरपंच

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956
विरुद्ध आदेश दिनांक 13-6-2016 जो उपखण्ड अधिकारी ओसियां द्वारा
राजस्व अपील संख्या 16/2013 अनवान दौलाराम बनाम श्रीमती फूली वगैरा
में पारित किया गया ।

उपस्थिति:-

- 1- श्री चेतन राम जाखड अधिवक्ता अपीलांट की ओर से ।
- 2- श्री दिनेश गोदारा अधिवक्ता रेस्पों संख्या 1 की ओर से ।
- 3- शेष रेस्पों बावजुद तामिल अनुपस्थित ।

निर्णय

दिनांक 22-3-2018

उक्त अपील का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम खबाणियां की सरहद में खसरा नंबर 64 की 6.00 बीघा भूमि खातेदार मूलाराम पुत्र भोमाराम जाति जाट के खातेदारी की थी । जिसके फौत होने पर उसके खातेदारी की भूमि का फोतेदगी म्युटेशन संख्या 107 उसके पुत्र एवं पत्नी नहीं होने से उसकी पुत्री रेस्पों संख्या 1 फूली के पक्ष में दिनांक 30-1-84 को स्वीकृत किया गया । उक्त म्युटेशन की जानकारी होने पर अपीलांटगण ने उक्त नामांतरकरण के विरुद्ध प्रथम अपील अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष धारा 5 मयाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र के साथ पेश की, जो रिकॉर्ड तलबी एवं रेस्पों की तामिल में चल रही थी परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त अपील को बिना अपीलांट को सूचित किये या उनके अधिवक्ता को नोटिस दिये बिना न्याय आपके द्वारा अभियान में रखते हुए अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 13-6-2016 के द्वारा अपीलांट की अपील को मयाद बाहर मानकर खारीज कर दिया जाने पर अपीलांट ने यह द्वितीय अपील इस न्यायालय हाजा के समक्ष पेश की है ।

उभयपक्ष के अधिवक्ता उपस्थित । वकील पक्षकारान की बहस सुनी । अपीलांट अधिवक्ता ने अपील मीमो में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट की बहस सुने बिना ही अपील का निस्तारण करने में विधिक भूल की है । नियमानुसार अपील दर्ज करने के बाद अपीलांट एवं उनके अधिवक्ता की बहस सुने बिना अपील का मेरिट पर निर्णय पारित नहीं किया जा सकता है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधिसम्मत नहीं होने से निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने कथन किया कि उपरोक्त तमाम नामांतरकरणों की अलग-अलग अपीले अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गईं, जिनमें रिकॉर्ड तलबी

एवं रेस्पो0 की तामिल मे पत्रावलियां चल रही थी परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने बिना अपीलांटगण एवं उनके अधिवक्ता को नोटिस दिये ही कोर्ट की पत्रावलियों को न्याय आपके द्वार अभियान केम्प अटल सेवा केन्द्र किंजरी मे दिनांक 13-6-2016 को ले जाकर उसी दिन अपील के बिना गुणावगुण पर विचार किये केवल मयाद के बिन्दु पर खारीज कर दी, जो न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्त के विपरीत होने से निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने कथन किया कि राजस्व अभियानो मे केवल उन्ही प्रकरणो का निस्तारण किया जा सकता है, जिनमे पक्षकारो की सहमति हो, परंतु वर्तमान प्रकरण मे गंभीर विवाद है जिसका निस्तारण लोक अदालत केम्प मे बिना पक्षकारो की सुनवाई के नहीं किया जाना था ।

वकील अपीलांट ने कथन किया कि वर्तमान मामले मे अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 31 जो उत्तराधिकार के आधार पर स्वीकृत किया था तो खातेदार भोमाराम के देहांत के समय उसके मूलाराम, नानकराम एवं विरमाराम नामक तीन लडके मौजूद थे तो एक लडके के नाम म्युटेशन भरा जाकर स्वीकृत किया जो प्रथमदृष्टिया अवैध एवं शून्य होने से उसके पश्चात के सभी स्वीकृत नामांतरकरण भी स्वतः ही शून्य समझे जायेंगे तथा ऐसे शून्य आदेशो के विरुद्ध मयाद का बिन्दु गौण हो जाता है परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने अपील को केवल मयाद के बिन्दु पर खारीज करने का जो आदेश पारित किया है, जो विधिसम्मत नहीं होने से निरस्त योग्य है ।

अंत मे वकील अपीलांट ने उक्त अपील को स्वीकार करने तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ओसियां द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 13-6-2016 एवं अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 107 को निरस्त कर मृतक खातेदार भोमाराम के सभी विधिक उत्तराधिकारियो के नाम म्युटेशन स्वीकृत करने के आदेश पारित करने का निवेदन किया ।

रेस्पो0 की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने कथन किया कि अपीलांटगण को अपीलाधीन म्युटेशन की जानकारी प्रारंभ से ही थी तथा उक्त फौतेदगी का म्युटेशन संख्या 107 रेस्पो0 संख्या 1 के पक्ष मे वर्ष 1984 मे स्वीकृत हुआ था, जिसके 29 वर्ष विलंब से अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अपील पर पारित किये गये निर्णय मे किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नहीं होना पाया जाता है इसलिए अपीलांट की उक्त अपील को खारीज करने का निवेदन किया ।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय, अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 107 स्वीकृति दिनांक 30-1-84 आदि का अवलोकन किया । अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 107 जो कि वर्ष 1984 मे फौतेदगी के आधार पर स्वीकृत हुआ था उसके विरुद्ध लगभग 29 वर्ष के विलंब से अधीनस्थ न्यायालय मे म्युटेशन अपील वर्ष 2013 मे स्व0 खातेदार भोमाराम के अन्य पुत्र नानकराम के पुत्रो ने की थी जिसमे विलंब का कोई ठोस कारण प्रकट नहीं होने से अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय के द्वारा अपील को मयाद के बिन्दु पर खारीज किया है ।

प्रस्तुत अपील मे अपीलांट अधिवक्ता का मुख्य कथन यह है कि पत्रावली को केम्प कोर्ट मे ले जाने बाबत कोई सूचना रेकर्ड पर नही है, फिर भी पत्रावली मे पक्षकारो को सुने बिना ही मयाद के बिन्दु पर अपील को खारीज कर दिया, जो विधिसम्मत नही है ।

इस संबंध मे यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष 29 वर्षो के विलंब से अपील पेश होने तथा विलंब को क्षमा करने बाबत कोई संतोषप्रद कारण का उल्लेख अपील के साथ प्रस्तुत धारा 5 मयाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र मे नही होने से अधीनस्थ न्यायालय ने इतनी लंबी अवधि तक अपीलांट द्वारा कोई चाराजोही नही करना न्याय की दृष्टि से क्षम्य योग्य नही होना मानकर नियत तिथी पर पत्रावली को लोक अदालत/ केम्प कोर्ट अटल सेवा केन्द्र किंजरी मे ले जाकर अपील को मयाद के बिन्दु पर खारीज किया है, जिसमे हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नही समझते है ।

अपील के गुणावगुण पर भी देखा जाये तो अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 107 जो कि फोतेदगी के आधार पर स्वीकृत किया गया है जिसमे इतने लंबे अंतराल के बाद राजस्व रेकर्ड मे दर्ज इन्द्राजात को म्युटेशन की सरसरी कार्यवाही मे किसी प्रकार का इन्द्राज परिवर्तन किया जाना न्यायसंगत नही है ।

बहस के दौरान रेस्पोंडेंट अधिवक्ता ने अवगत कराया कि अपीलांट पदमाराम ने खातेदारी घोषणा का एक नियमित वाद भी उपखण्ड अधिकारी ओसियां के न्यायालय मे प्रस्तुत किया है जिसका अनवान पदमाराम बनाम हनुमानराम वगैरा है, जो विचाराधीन है, तो अपीलांट के हक अधिकारो का निर्धारण तो उक्त विचाराधीन नियमित वाद के निर्णय से ही होना है । म्युटेशन की सरसरी कार्यवाही के जरिये हक अधिकारो का निर्धारण संभव नही है ।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलांटगण द्वारा प्रस्तुत उक्त अपील सारहीन होने से खारीज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ओसियां द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 13-6-2016 बहाल रखा जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 22-3-2018 को खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(वंदना सिंघवी)
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर